

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं ऑडिओ जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठाधीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं 60 / 2018



श्री हरिवाम वमा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आम्हाहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य विकासा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्रीमती चन्द पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी वाड नम्बर 10 अर्नपगढ जिला श्रीगंगानगर।
श्रीगंगानगर।
श्रीमती किराना स्टोर, मन मार्केट, अर्नपगढ जिला श्रीगंगानगर।

आभियुक्त

अपराध अा 26 उपधारा (2)(5)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 06.08.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिवाम वमा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय आम्हाहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य विकासा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) विकासा एवं स्वास्थ्य सेवाय राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अधिन आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिवाम वमा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.11.2017 को दोपहर बाद 1.00 बजे वरते निर्देशक फर्म श्री राधेश्याम अग्रवाल, मन मार्केट, अर्नपगढ जिला श्रीगंगानगर एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और पर राजकर्मचार पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी वाड नम्बर 10 अर्नपगढ, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित जिला। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर श्रीमती चन्द पुत्र राधेश्याम अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को सरसां तेल विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्देशक के दौरान खाद्य पदार्थ सरसां तेल के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो किरयाना स्टोर में एक टिन के पीछे में लगभग 10 किलोग्राम सरसां तेल आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें से 1 किलो 600 ग्राम सरसां तेल जांच के लिए खरीद की, सरसां तेल की कीमत 128/- रु (अखरे रूपसे एक सौ अठारहस मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री राधेश्याम अग्रवाल एवं श्री कैलाश चन्द पारीक के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 59 तैयार

किया, खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुभाषचन्द एवं गवाही के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा
 अधिकांश ने भी हस्ताक्षर किया। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर
 रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकांश ने खरीद यादा सरसों तेल को एक साफ स्यूटी
 प्लेट में एक रूप करके एवं परिवर्णक की उचित मात्रा मिलाकर बरतार मात्रा में धार
 प्लास्टिक की बोतलों में भरकर कंसक बन्द किया एवं गाँद से विपकाकर लेबल
 पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर
 खाद्य कारोबारकर्ता, गवाही के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकांश ने भी हस्ताक्षर
 किया। धारो नमूना भारों को अलग-अलग खाकी कगज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर
 डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर्युक्त धूप रिस्फ के-872 को
 नियमानुसार नीचे से ऊपर गाँद से विपकया, प्रत्येक भाग को धान से बाँध कर
 नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व
 गवाही के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किया, धारो नमूना भारों को अपने अपने
 में लिया। मौका फट रिपोर्ट तैयार की, जिस खाद्य विकला ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर
 किया। खाद्य सुरक्षा अधिकांश ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर
 वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06
 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकांश (खाद्य
 सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विबलेषक,
 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दोष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म
 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर
 रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिसट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी खाद्य रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/
 2711/एच/2017/2783 दिनांक 06.12.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना
 के-872 सरसों तेल Food Safety & Standards [Prohibition & Restriction On Sales]
 Regulation -2011 के उल्लंघन होना पया गया। इस पर
 अभिहित अधिकांश कम मुख्य लिफाफे एवं स्वास्थ्य अधिकांश, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में
 अभियुक्त सुभाष चन्द पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी बार्ड नम्बर 10 अन्नपट्ट, जिला
 श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर सरसों तेल का विक्रय किया जाने को खाद्य सुरक्षा एवं
 मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन
 दिनांक 16.07.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवार पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया।
 अभियुक्त को परिवार की प्रति उपलब्ध कराई गई।
 अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकांश ने जिस
 सरसों तेल का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Food Safety &
 Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011 के Regulation -
 No.2.3.15 का उल्लंघन पया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों तेल में सुधार कर लिया है
 मविष में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का कुछ अपनाते
 हेतु प्रार्थी के बाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से

प्रति होकर अपना जर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के बाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सूना गया।

राज प्रोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया सरसों तेल का सैम्पल के-872 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/ 2711/एक्ट/2017/2783 दिनांक 06.12.2017 द्वारा Food Safety & Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -No.2.3.15 होना पया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा (2)(5)/58 के तहत पुर्नाना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शक्ति का प्राधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस सरसों तेल का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Food Safety & Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011 के संस्यार कर लिया है मविष में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के बाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के बाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त सुभाषचन्द पर मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त सुभाषचन्द पर Food Safety & Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011 के 4000/-रुपये (अखरे रुपये चार हजार मात्र) शक्ति अधिविधित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब सरसों तेल का विधिक प्राधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करे।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि मविष में सरसों तेल के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करे, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य विलिक्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

Ms. Gaur

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगंगानगर